न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 24/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/531
मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवसी 5 केएसडी पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. यह अपील जिला कलक्टर न्यायालय श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की गयी। अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 14.06.2023 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में कोई सूचना नहीं दी गई है। धारा 20(1) के तहत ढाई सौ रूपये प्रति दिन जुर्माना लगाया जाकर अपीलार्थी को बिन्दूवार सूचना दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।
2. अपील लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/610 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदन द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक/417 दिनांक 17.06.2023 के द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से संबंधित जवाब उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पेश किया जाना हैं।
3. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से टिप्पणी तलब की गयी। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सूकाअ/24/3346 दिनांक 19.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के बिन्दू सं. 1 की सूचना कार्यालय के पत्रांक 9446 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं। बिन्दू सं. 2,3 की सूचना अति. जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर से संबंधित होने तथा बिन्दू सं. 4,5,6,7 की सूचना अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित कर दिया गया हैं। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9496 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू सं. 1 की सूचना प्रेषित करते हुए बिन्दू सं. 2 से 7 के संबंध में आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित किये जाने से अपीलार्थी को सूचित किया गया हैं। तथा आवेदन हस्तांतरित किये जाने संबंधित पत्र की प्रतिलिपि भी आवेदक/अपीलार्थी को प्रेषित की गयी हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी हैं, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:45 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना) I.A.S
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़